प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक 18 अगस्त, 2009 के प्राविधानानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को वित्तीय वर्ष 2025–26 में तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, बायोटेक्नोलॉजी प्रबन्धन, सूचना तकनीक एवं रक्षा सेवा आदि की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करना और राज्य एवं केन्द्र सरकार की समूह क, ख, ग, तथा अन्य समकक्षीय सेवाओं जैसे पुलिस सुरक्षा सेवा, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे, बैंक, बीमा कम्पनियों अधीनस्थ सेवाएं, स्वायत्तशासी संगठनों की सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दिया जाना प्रस्तावित है।

कोचिंग संस्थाओं हेतु पात्रता–

1. ऐसी समस्त शासकीय संस्थायें, विश्वविद्यालय, तथा स्वायत्तशासी संगठन जो कोचिंग एंव प्रशिक्षण की गतिविधियों में संलग्न हैं।
2. निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय जो कोचिंग/प्रशिक्षण कार्य में संलग्न हैं।
3. निजी क्षेत्र की ऐसी संस्थायें एवं संगठन जो रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं अथवा कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सकें। निजी क्षेत्र की संस्थाओं के अन्तर्गत न्यास (ट्रस्ट), कम्पनी, साझा फर्म, विधिसम्मत पंजीकृत समितियां औद्योगिक संस्थान आदि सम्मिलित होंगे।
4. संस्था का सोसाईटी पंजीकरण (वैधता सहित)।
5. संस्था की विगत तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट (UDIN सहित)।
6. संस्था स्वंय अथवा किराये के भवन में संचालित हैं का उल्लेख एवं साक्ष्य संलग्न करें।
7. कोचिंग संस्थान जिस भवन में संचालित हो उस भवन में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त मानक नियमानुसार पूर्ण होने चाहियें।
8. ऐसी संस्थायें जो पर्वतीय जनपदों में आवासीय व्यवस्थाओं के साथ कोचिंग देने में सक्षम हो उन्हें अधिमान्यता दी जायेगी।

कोचिंग संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित पात्रता–

- संस्था में मानक के अनुरूप पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक योग्य प्रशिक्षक कार्यरत होने चाहिये।
- संस्था में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं यथाः परिसर भवन पुस्तकालय, उपकरण, कक्षा कक्ष उपलब्ध होने चाहिए।
- संस्था को प्रशिक्षण प्रदान करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- कोचिंग संस्थाओं की न्यूनतम सफलता दर 15 प्रतिशत होनी चाहिए। सफलता दर विगत 3 वर्षो (वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25) की गतिशील औसत के आधार पर आंकलित की जायेगी।
- जिन कोचिंग संस्थान के छात्र प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में कोचिंग देने का प्रस्ताव है। इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं अपना आवेदन पत्र/प्रस्ताव समस्त अभिलेखों सहित केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से **दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 तक** निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी–नैनीताल में उपलब्ध करायेंगे।

वित्तीय व्यवस्थाः– प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति के द्वारा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्राप्त वित्तीय दरों के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त किया जायेगा।

क.सं	पाठ्यक्रम का नाम		अवधि	वित्तीय दर
1	सिविल सेवाएं (केन्द्र तथा राज्य सरकार)	Pre	3 माह	
		Mains	4 माह	
		Interview	2 माह	
2	इंजीनियरिंग (JEE)	Mains	1 वर्ष	
		Advanced		
3	चिकित्सा	NEET	1 वर्ष	
4	केन्द्र एवं राज्य सरकार की समूग ग परीक्षा	SSC	6 माह	
		UKSSSC	6 माह	
		Bank	6 माह	
		Insurance	6 माह	
5	रक्षा सेवाएं	NDA/CDS	6 माह	
		Paramilitary forces	6 माह	

अधिक जानकारी विभागीय वैबसाईट www.socialwelfare.uk.gov.in, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, एवं निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

पत्र संख्या 1997/स0क0/कोचिंग/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक 19 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के पृष्ठ पर 6X8'' (Inch) प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2 सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

4. नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, समाज कल्याण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति एवं योजना से सम्बन्धित शासनादेशो (छायाप्रति संलग्न) को विभागीय बैबसाइट www.socialwelfare.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

6. कार्यालय प्रति।

(वासुदेव आर्य)
उप निदेशक,
कृत निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्याः 798 XVII–2 / 2025–1(17) / 2018
देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण विभागान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु शासनादेश संख्या–1144/XVII-2/21-1(17)/2018 दिनांक 07 सितम्बर, 2021 द्वारा गठित समिति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन। – अध्यक्ष
2. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य
3. अपर सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य
4. अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य
5. अपर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य
6. अपर सचिव, आई0टी0, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य
7. अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य
8. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। – सदस्य
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल। –सदस्य सचिव / संयोजक

Digitally signed by
Prakash Chandra
Date: 11-09-2025
17:36:22
(प्रकाश चन्द्र)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–798/XVII–2 / 2025–1(17) / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त नामित सदस्य।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।
6. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
ARUN KUMAR
Date: 11-09-2025
17:38:36
(अरुण कुमार)
अनु सचिव।

File No. SOCW2-BUD/ABUD/4/2021-XVII-A-2-Social Welfare Department (Computer No. 9286)